

राज्य रक्ताधान परिषद  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

दूरभाष क्र. 2527115, ई-मेल [mpsbtc@gmail.com](mailto:mpsbtc@gmail.com)

क्रमांक एस.बी.टी.सी./एफ-30/2022/3687  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/05/2022

1. सचिव  
भारतीय रेडक्रास सोसायटी,  
जिला- भोपाल, इंदौर, मंहू (इंदौर), डबरा/कम्पू (ग्वालियर) एवं सिंगरौली, (म.प्र.)
2. समस्त संचालक,  
Charitable Trust /Voluntary Organization, ब्लड सेंटर, (म.प्र.)
3. समस्त संचालक,  
प्रायवेट हॉस्पिटल, ब्लड सेंटर, (म.प्र.)

विषय :- होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट्स प्रोसेसिंग चार्जस के संबंध में दिशा-निर्देश।

- संदर्भ :- 1. संचालक (एन.बी.टी.सी.), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र नं. एस-12016/01/2012-नॉको (एन.बी.टी.सी.) दिनांक 25.06.2018
2. इस कार्यालय पत्र क्रमांक/एस.बी.टी.सी./एफ-30/2017/1869 दिनांक 11.04.2017

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित राज्य रक्ताधान परिषद (एस.बी.टी.सी.) के पत्र द्वारा होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट्स प्रोसेसिंग चार्जस के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। संज्ञान में आया है कि कुछ ब्लड सेंटरों द्वारा होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस एस.बी.टी.सी. द्वारा चार्जस से अधिक लिए जा रहे हैं। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्र द्वारा निर्धारित प्रोसेसिंग चार्ज निम्नानुसार दर्शाई दरों के अनुरूप प्राप्त किया जा सकता है, उक्त दरे अधिकतम सीमा को दर्शाती है :-

(अ) होल रक्त (Whole Blood)	-	रु. 1050/- प्रति यूनिट
(ब) पैक्ड रेड सेल्स (Packed Red Cells)	-	रु. 1050/- प्रति यूनिट
(स) फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा (Fresh Frozen Plasma)	-	रु. 300/- प्रति यूनिट
(द) प्लेटलेट कंसन्ट्रेट (Platelet Concentrate)	-	रु. 300/- प्रति यूनिट
(इ) क्रायोप्रेसिपिटेट (Cryoprecipitate)	-	रु. 200/- प्रति यूनिट

उपरोक्त होल रक्त एवं रक्त कम्पोनेन्ट्स प्रोसेसिंग हेतु निर्धारित चार्जस के डिटरमिनेन्ट्स व उनके शुल्क अनुसूची-1 में संलग्न प्रेषित है।

2// समस्त हिमोग्लोबिनोपेथी (Thalassemia patients, Hemophilia patients, Sickle Cell anemia patients & Any other blood dyscrasia requiring repeated blood transfusions) से प्रभावित सभी मरीजों को रक्ताधान की आवश्यकता होने पर निःशुल्क एवं रिप्लेसमेंट फ्री रक्त एवं रक्त कम्पोनेन्ट्स दिया जाना/उपलब्ध कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।

3// ब्लड सेंटर (ब्लड बैंक) द्वारा किसी भी स्पेशलाईज्ड रिक्विरेमेंट/टेस्ट/प्रोसीजर्स के शुल्क की जानकारी ब्लड प्राप्तकर्ता को अनिवार्य रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें।

4// होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेंट प्रोसेसिंग चार्जस ब्लड सेंटर परिसर में अनिवार्य रूप से मुख्य स्थान पर प्रदर्शित किये जाये, ताकि जनहित में हितग्राहियों को उचित लाभ प्राप्त हो सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ ब्लड सेंटर्स में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। यदि कोई ब्लड सेंटर होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेंट के प्रोसेसिंग चार्जस अधिक लिए जाने की शिकायतें प्राप्त हुईं तो तत्काल प्रभाव से ब्लड सेंटर का लाईसेंस रद्द करावाने की अनुशंसा कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल को भेज दी जावेगी।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(डॉ. सुदाम खाड़े)  
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक एस.बी.टी.सी./एफ-30/2022/3688

भोपाल, दिनांक 10/05/2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. ड्रग कन्ट्रोलर जनरल (इंडिया), भारत सरकार, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली।
3. संचालक (एन.बी.टी.सी.), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
7. परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
8. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (एस.बी.टी.सी.)/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश।
9. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
10. डिप्टी ड्रग कन्ट्रोलर (इंडिया), भारत सरकार, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, सब जोन इंदौर, सीडीएससीओ भवन, जीपीओ स्कुयर, रेसिडेंस एरिया, ए.बी. रोड, इंदौर की ओर लेख है कि संयुक्त निरीक्षण के समय प्रोसेसिंग चार्जस ब्लड सेंटर परिसर में अनिवार्य रूप से मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करवाये।
11. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
12. समस्त ब्लड सेंटर (ब्लड बैंक) अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल की ओर लेख है कि संयुक्त निरीक्षण के समय प्रोसेसिंग चार्जस ब्लड सेंटर परिसर में अनिवार्य रूप से मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करवाये।
14. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**Details of Recovery of Processing Charges for  
Blood & Blood Component**

Costing for Whole Blood & Blood Components			
S.No	Determinants of Cost	Whole Blood	Blood Components
1	<b>Consumables/material</b> (including stationery & IEC)		
	<b>Blood Bags</b>	50	200
	<b>Kits for Transfusion Transmitted infection testing</b>	200	200
	<b>Donor Haemoglobin</b>	30	30
	<b>Blood Grouping</b>	70	70
	<b>Cross matching</b>	70	70
	<b>Chemicals</b>	10	10
	<b>Stationery</b>	20	35
	<b>Glassware and plastic ware</b>	70	100
2	<b>Salary</b> (human resource)	300	400
3	<b>Equipments</b> Maintenance and depreciation	50	140
4	<b>Power</b> (electrical supply including generator backup)	70	140
5	<b>Biomedical waste management</b>	10	20
6	<b>Donor Refreshment</b>	25	25
7	<b>Quality Assurance</b>	25	100
8	<b>Wastage</b> (@approximately 5% for Whole Blood, 7% for components)	50	110
	<b>Total Effective Cost</b>	<b>1050</b>	<b>1650</b>

Q R